ालय उपखण्ड ....अधिकारी.................. कठूमर जिला अलवर

............2/130/19 तारीख रजू..........................

.... बनाम ....

ोचन्द सूरज वगैरा

ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.07.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली प्र उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख.न. 147, 148 वाके ग्राम अरुंवा तहसील कठूमर मे विवादीत आराजीयात के शान्तमय उपयोग एवं उपयोग मे व्यवधान पैदा ना करे जवरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे तथा उक्त आराजी मे खडे हरे वृक्षो को ना काटे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे सायल के शान्तमय उपयोग एवं उपयोग मे व्यवधान हो। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.9.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.9.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30.9.19	बकुलाव करोकेन उप०/P.O. बाहब अन्य कार्य ... पत्रावली दिनांक 20/1/20 को पेश हो।	
20/1/20	बकुलाव करोकेन उप०/P.O. बाहब ... पत्रावली दिनांक 23/3/20 को पेश हो।	73 5/7/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/3/24	वकी० वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] श्री वकील प्रार्थी के अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ रहे। हुक्म उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर (अलवर) राज०	